

Form No. III  
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़

चंद्रप्रकाश

बनाम

अशोक वगैराह

किस्मा मुकदमा

राजस्व वाद

नं०

**201**

सन्

**2013**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.11.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। वादी स्वयं हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। हाजिर नहीं। वकील वादी की रूक-रूक कर आवाज लगवाई गई। वकील वादी हाजिर नहीं। हमेन पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली विगत लम्बे समय से तलबी में ही चल रही हे। वादी प्रतिवादीगण की तलब कराने में भी असफल रहा है। आज वकील वादी हाजिर नहीं। वादी स्वयं हाजिर नहीं। न्यायालय समय समाप्त होने से पूर्व पुनः आवाज लगवाई गई। वकील वादी हाजिर नहीं। वादीगण स्वयं हाजिर नहीं। वकील वादी अथवा वादीगण के स्वयं के हाजिर नहीं आने से वादी का वादपत्र बाबत् खातेदार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">- ह० - (तेजस्वी राणा)(I.A.S.) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी), चित्तौड़गढ़ 27.11.2019</p>	

